प्रेस नोट 31.08.2020

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के कम में आज दिनांक 31.08.2020 को गैगेस्टर अपराधी सतीश सिंह उर्फ बबलू पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखंसी मऊ की अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी लगभग 19 लाख रूपये की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा जब्त की गयी।

जब्त सम्पत्ति विवरण–

1. ग्राम जयसिंहपुर में ढ़ाई मण्डे मे बना मुर्गी फार्म कीमत 07 लाख रूपये।
2. एक स्कार्पियों गाड़ी नम्बर यूपी 54 एई 1604 कीमत 12 लाख रूपये।

उल्लेखनीय है कि मऊ पुलिस द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में दिनांक 02/08/20 को शातिर अपराधी सतीश सिंह उर्फ बबलु पुत्र सुरेन्द्र सिंह सहित 06 अपराधियों के विरूद्ध थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 631/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि सतीश सिंह उर्फ बबलु पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखंसी मऊ एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना सरायलखसी पर आयुद्य अधिनियम सहित गम्भीर धाराओं में कुल 16 अभियोग पंजीकृत है तथा यह वर्तमान में जेल मे निरूद्ध है।

अवैध शराब बनाते दो गिरफ्तार, 18 लीटर अपमिश्रित शराब/बनाने के उपकरण बरामद, बनाने की भट्ठी नष्ट–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज सोनकर के निर्देशन में अवैध शराब करोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के कम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री राजकुमार सिंह के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी रतनपुरा उपनिरीक्षक शिव मूर्ति तिवारी मय हमराहियान द्वारा कल दिनांक 30.08.2020 को रात्रि करीब 20:35 बजे ग्राम मुबारकपुर में मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से कच्ची शराब की बनाते हुए देसी शराब भट्ठी पकड़ी गई। जिसमें कच्ची शराब बनाने वाले अभियुक्तगण विजय राजभर पुत्र जीवजोधन राजभर एवं उसके पुत्र रोहन राजभर उर्फ गोलू पुत्र विजय राजभर निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को मौके पर ही गिरप्तार किया गया तथा मौके से 18 लीटर बनी हुई अपमिश्रित अवैध कच्ची देसी शराब तथा साथ में 2 किलो यूरिया आधा किलो नौसादर फिटकिरी नमक आदि रासायनिक पदार्थ बरामद हुआ साथ ही शराब बनाने के उपकरण पतीली, हल्की कनस्तर आदि बरामद हुआ। अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि घर में ही कच्ची शराब बनाते हैं तथा उसमें रासायनिक पदार्थों को मिलाकर उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और फिर उसको सस्ते दामों में गांव में घूम घूम कर भेजते हैं बलिया जनपद में भी जाकर बेचते हैं। जिससे जो धन प्राप्त होता है उससे परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों क विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/20 धारा 272.273 भादवि तथा 60/60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। गिरफ्ताकर्ता पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी।

एक शातिर गिरफ्तार, कब्जे से एक नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में दिनांक 30.08.20 को थाना घोसी पुलिस द्वारा बड़ागांव से चन्द्रिका यादव उर्फ मोनू पुत्र अर्जुन यादव निवासी बड़ागांव थाना घोसी मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा मय एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 706/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. चन्द्रिका यादव उर्फ मोनू पुत्र अर्जुन यादव निवासी बड़ागांव थाना घोसी मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज तमंचा मय एक अदद कारतूस 12 बोर।

98 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 04 तस्कर गिरफ्तार–

आज दिनांक 31.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा मनोज कुमार पुत्र रामवृक्ष निवासी कमालचक, दिलीप कुमार पुत्र हरिकिसुन निवासी सिरसा थाना चिरैयाकोट दोनों के कब्जे से क्रमशः 20–30 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा रोशन पुत्र महातम निवासी दुबारी, जमालुद्दीन पुत्र सकूर निवासी ददियापार थाना मधुबन दोनों के कब्जे से 48 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 31.08.20 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दोरान बुद्धिकापुरा गांव से मु0अ0सं0 670/20 धारा 34,323,147,504,506,302 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण कमलेश पुत्र फूलचन्द्र, सोनू पुत्र जयराम निवासीगण बुद्धिकापुरा थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 24 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 31.08.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा छोटेलाल, गुलाब निवासीगण मऊकुबेर, वृजनाथ, राजाराम निवासीगण पिपरसाथ थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा राहुल मौर्या, मृत्युंजय, अनिल निवासीगण भदसा मानोपुर थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा भूपेन्द्र सिंह, आनन्द सिंह निवासीगण भैरोपुर, प्रमोद, दिनेश, देवेन्द्र, मोहन, हरिश्चन्द्र, कृष्णा निवासीगण जमीन सारंगपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा राणा चौहान निवासी चांदपट्टी थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा प्रमोद, बेचू निवासीगण दतेहरी थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अकाशदीप निवासी हरपुर, दयानन्द, श्यामलाल, लल्लन निवासीगण बीबीपुर थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 30.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 31.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 366 बैरियर प्वाइंट (311 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 09 व्यक्तियों के विरूद्ध 03 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 1624 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 91 वाहनों का चालान तथा 14 हजार 900 रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

साथ ही साथ मास्क न लगाने पर किये गये 130 चालान व वसूले गये 10 हजार 100 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 55 चालान व वसूले गये 04 हजार 800 जुर्माना सहित कुल 29 हजार 800 रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।